

(Substituted bearing same number & Date)

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा।

सेवा में

1. अतिरिक्त श्रम आयुक्त गुडगांव।
2. सभी उप श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य।
3. सभी सहायक श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य।
4. सभी श्रम निरीक्षक, हरियाणा राज्य।
5. कल्याण अधिकारी (महिला) फरीदाबाद एवं पानीपत।

क्रमांक: आई0आर0-2/15998-16118

दिनांक: 05.04.2016

विषय: रिवाईजड - न्यूनतम वेतन को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ना तथा उसमें दिनांक 01-01-2016 से बढ़ोतरी बारे।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में।

सरकार की अधिसूचना दिनांक 21-10-2015 द्वारा भिन्न-भिन्न रोजगारों में दिनांक 01-01-2016 से न्यूनतम वेतन पुनः निर्धारित किए गए हैं और यह कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़े हैं। इन आंकड़ों में हुई बढ़त/घटत के आधार पर प्रत्येक छः मास के पश्चात् (जुलाई से दिसम्बर) न्यूनतम वेतन में बढ़त/घटत होती रहती है।

अर्थ तथा सांख्यिकीय सलाहकार, हरियाणा से जुलाई, 2015 से दिसम्बर, 2015 तक हरियाणा राज्य कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में औसत घटत/बढ़त की सूचना प्राप्त हुई है जो कि निम्न प्रकार से है:-

जुलाई, 2015	1024 (2212)
अगस्त, 2015	1031 (2227)
सितम्बर, 2015	1039 (2244)
अक्टूबर, 2015	1051 (2270)
नवम्बर, 2015	1052 (2272)
दिसम्बर, 2015	1046 (2259)
औसत	1041 (2247)

जून 2015 को समाप्त हुई अर्धवर्ष में मूल्य सूचकांक 2141 था। अब मास दिसम्बर 2015 में अर्धवर्ष की समाप्ति के बाद मूल्य सूचकांक 2247 हो गया है और इस प्रकार मूल्य सूचकांक में 106 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। हरियाणा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 21-10-2015 जो कि प्रथम नवम्बर, 2015 से लागू है, में न्यूनतम वेतन की तटस्थीकरण दर 100 प्रतिशत है जिसके अनुसार न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 5(2) के तहत दिनांक 01.01.2016 से विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों की मासिक और दैनिक न्यूनतम वेतनों में 4.95 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। तदानुसार अब दिनांक 01-01-2016 से हरियाणा राज्य में न्यूनतम वेतन दरें निम्न अनुसार देय बनती हैं:-

क्रम संख्या	श्रेणी	पद/योग्यता	मासिक वेतन	दैनिक वेतन
1.	अकुशल		रु0 7976.20	रु0 306.77
2.	अर्धकुशल (ए) (बी)		रु0 8375.01 रु0 8793.76	रु0 322.11 रु0 338.22
3.	कुशल (ए) (बी)		रु0 9233.44 रु0 9695.12	रु0 355.13 रु0 372.88
4.	उच्च कुशल		रु0 10179.87	रु0 391.53
5.	लिपिकीय तथा सामान्य स्टाफ	(i) मैट्रिक से कम (ii) मैट्रिक लेकिन स्नातक नहीं (iii) स्नातक या उपर	रु0 8375.01 रु0 8793.76 रु0 9233.44	रु0 322.11 रु0 338.22 रु0 355.13


Handwritten signature

		(iv) स्टेनो टाइपिस्ट	रु0 8793.76	रु0 338.22
		(v) कनिष्ठ आशुलिपिक वेतनमान	रु0 9233.44	रु0 355.13
		(vi) वरिष्ठ आशुलिपिक वेतनमान	रु0 9695.12	रु0 372.88
		(vii) निजी सहायक	रु0 10179.87	रु0 391.53
		(viii) निजी सचिव	रु0 10688.87	रु0 411.11
6.	डाटा एन्ट्री आपरेटर		रु0 9233.44	रु0 355.13
7.	चालक	हल्का वाहन	रु0 9695.12	रु0 372.88
		भारी वाहन	रु0 10179.87	रु0 391.53
8.	सुरक्षाकर्मी	बिना शस्त्र	रु0 8375.01	रु0 322.11
		शस्त्र सहित	रु0 9695.12	रु0 372.88
9.	सुरक्षा निरीक्षक/सुरक्षा अधिकारी/सुरक्षा सुपरवाइजर		रु0 10179.87	रु0 391.53
10.	सफाई कर्मचारी किसी भी नियोजन में		रु0 8500.95	रु0 326.95

उपरोक्त के अतिरिक्त ईट भट्टा उद्योग में न्यूनतम वेतन की दरों में बढ़ौतरी निम्न प्रकार से है:-

क्रम सं०	कर्मचारियों का प्रवर्ग	ईट प्रति एक हजार	टाईल प्रति एक हजार
1.	पथेरा	454.47 रुपये	511.28 रुपये
2.	भराई वाला(भट्टों में ईटों की भराई)	(क) 204.51 रुपये प्रति हजार ईट भट्टे में भरना परन्तु खेत से भट्टे तक की दूरी 400 मीटर तक हो। इस दूरी से अधिक अतिरिक्त मजदूरी 18.17 रुपये प्रति हजार प्रत्येक 100 मीटर या इसके भाग पर दी जायेगी। यह दरें केवल गधे/खच्चर की पीठ पर लादकर भरने वालों पर ही लागू होंगी।	
		(ख) एक हजार 2 मीटर दूरी तक 168.15 रुपये टैम्पू या पशु चलित रेहड़ी या किसी अन्य यान्त्रिक चलित वाहन से ईट भट्टों से भरना। इस दूरी से अधिक अतिरिक्त मजदूरी 18.17 रुपये प्रति हजार प्रत्येक 500 मीटर या इसके भाग पर दी जायेगी।	
3.	कैरीवाला	36.35 रुपये प्रति एक हजार ईट	
4.	निकासी वाला	149.97 रुपये प्रति एक हजार ईट	
5.	चिनाई वाला	9233.44 रुपये प्रति मास	
6.	मिस्त्री/कोलमैन/जलाई वाला	9233.44 रुपये प्रति मास	

अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि आप अपने-2 क्षेत्रों के प्रबन्धकों से उक्त निर्धारित दरों को पूर्ण लागू करवायें तथा श्रमिकों को न्यूनतम वेतन दिलाना सुनिश्चित करें।


/c कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।

पृष्ठांकन क्रमांक : आई0आर0-2/16119-80

दिनांक: 05.04.2016

इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :-

1. निजी सचिव, मु0 मंत्री को मुख्य मंत्री हरियाणा के सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, श्र0 मंत्री को श्रम मंत्री हरियाणा के सूचनार्थ।
3. निजी सचिव वि0 आ0 एवं प्र0 स0, को वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा, श्रम विभाग के सूचनार्थ।
4. निजी सचिव श्र0अ0 को श्रम आयुक्त, हरियाणा के सूचनार्थ।
5. श्रम तथा रोजगार मन्त्रायल, भारत सरकार श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
6. निदेशक सूचना, लोक सम्पर्क एवं सात्कृतिक गतिविधियाँ विभाग, हरियाणा चण्डीगढ़।

7. निदेशक, विकास पंचायत, विभाग, प्लॉट नं 3/28-ए हरियाणा चण्डीगढ़।
8. निदेशक, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हरियाणा।
9. निदेशक, पशुपालन विभाग, हरियाणा, पंचकुला।
10. निदेशक, शहरी विकास, हरियाणा, चण्डीगढ़।
11. निदेशक, कृषि विभाग, हरियाणा, पंचकुला।
12. निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़।
13. प्रबंधक निदेशक, हरियाणा डेयरी विकास निगम, पंचकुला।
14. प्रबंधक निदेशक, हैफेड, हरियाणा, पंचकुला।
15. आयुक्त, राज्य परिवहन, हरियाणा, चण्डीगढ़।
16. रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, हरियाणा, पंचकुला।
17. सभी जिला उपायुक्त, हरियाणा राज्य।
18. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (जन स्वास्थ्य), हरियाणा, चण्डीगढ़।
19. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन व मार्ग), हरियाणा, चण्डीगढ़।
20. मुख्य प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकुला।
21. मुख्य वनपाल, हरियाणा, पंचकुला।
22. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, हरियाणा, पंचकुला।
23. सचिव, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, पंचकुला।
24. सभी अधिकारी, (मुख्यालय)
25. IT (Cell)



o/c

कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।